संख्या-44/2024/441/18-2-2024-18-2099/261/2021

प्रेषक

सुनील कुमार पाण्डे
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-498/निर्भया योजना/एम0एस0एम0ई0-17/2024-25, दिनांक 12-09-24 के संबंध में अवगत कराना है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-10-2023 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुयी है। योजना के प्राविधानानुसार रू0 4687.50 लाख बजट का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि 1406.25 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश के सापेक्ष लगभग 50 प्रतिशत धनाशि रू० 937.49 लाख की धनाशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0 03 के अंरतर्गत लेखा शीर्षक-2851-102-89-8904- औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए जागरुगता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय मद में राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख में से योजनान्तर्गत केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 1406.25 लाख अवमुक्त होने की प्रत्याशा में इसके सापेक्ष राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0 937.51 लाख (रू0 नौ करोड़ सैंतीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण पी0एफ0एम0एस0 पर भी अपलोड किया जायेगा।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद मे ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार राजकोष से किया जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के स्तर पर खोले गये एस0एन0ए0 एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था यूपिकॉन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना में क्रेन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा। केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही अवश्य की जायेगी तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाये, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाये, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की अवशेष अव्ययित धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(8) एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्ति किया जायेगा।

(9) यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-003 लेखाशीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-85-दस-24, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सुनील कुमार पाण्डे
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- अनु सचिव, निर्भया सेल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित कार्यदायी संस्था।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-6
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सुनील कुमार पाण्डे
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।